लोकतंत्र और मानव-अधिकारों का घोषणा-पत्र

सुनीता त्रिपाठी
प्राध्यापक राजनीति विज्ञान
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

सारांश -

भारत सर्वे भवन्तु सुखिन ! जैसी वैदिक मान्यताओं के साथ मानव मूल्यों एवं मानवाधिकारों को सामाजिक जीवन का आधार रखने वाला देश है इस देश के आम नागरिक की जीवन पद्धति दूसरों को सम्मान देने दूसरों की भावनाओं का आदर करने एवं संतोष तथा सहनशीलता पूर्वक जीवन यापन करने की है। वर्षों तक विदेशी शासकों की स्वार्थ परक नीतियों एवं अधिक शोषण का प्रभाव सामाजिक जीवन पर अवश्य पड़ा है। अतः मानवाधिकार को वैधानिक दृष्टि से स्थापित किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित हुई थी। मानवाधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से विदित होता है। कि इस विषय के आधारभूत तत्व मनुष्य के प्राचीनतम साहित्य एवं धार्मिक पुस्तकों में उपलब्ध है। बाइबिल, रामायण वेद, कुरान, महाभारत, भगवद्गीता तथा जैन, बौद्ध एवं सिख धर्म धर्मग्रन्थों में मानवाधिकार की अवधारणा चिरन्तन रूप में विद्यमान है।

मुख्य शब्द - मानव-अधिकार, लोकतंत्र, घोषणा पत्र ।

दुनिया का हर मनुष्य सुख व शांति पूर्ण तरीके से जीवन जीना चाहता है। जिसके लिये उसे पूर्ण आजादी की आवश्यकता होती है। किंतु मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल से ही मानव की स्वतंत्रता पर तरह-तरह के अवरोध लगाये जाते रहे हैं। मनुष्य के शोषण की इतिहास में दीर्घकालीन परम्परा रही है। दास प्रथा, स्त्रियों के शोषण की इतिहास में दीर्घकालीन परम्परा रही है। दास प्रथा, स्त्रियों के शोषण के साथ-साथ विभिन्न तरह की घृणित प्रथाओं का प्रचलन आदिकाल से चला आ रहा है। विश्व में आधुनिक युग की दो क्रांतियों-अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम व फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र का मार्ग को प्रशस्त किया। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ में जहां दुनिया में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वही आम नागरिकों को मूलभूत अधिकार सुनिश्चित करने के लिये 10 दिसम्बर 1948 को मानव अधिकारों का घोषण-पत्र जारी किया।

आज संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकार संबंधी घोषणाओं की प्रासंगिकता काफी बढ़ी प्रतीत होती है। क्योंकि इस विकसित हो रही दुनिया में वहुसंख्यक आवादी बेरोजगारी, विषमता सहित कई अन्य समस्याओं से ग्रसित होती जा रही है, जिससे उनको मानवाधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। यू.एन.ओ. के मानवाधिकारों की घोषणा का मकसद जहां आम लोगों में इसके प्रति जागरूकता पैदा करना था तो वहीं दूसरी और सरकारों, तानाशाहों, व अन्य संस्थाओं को शोषण के विरुद्ध सचेत करना था। बावजूद इसके आज भी मानवाधिकारों से संबंधित उक्त घोषणा-पत्र के प्रति लोगों से यथोचित जागृति नहीं आयी है। इस घोषणा-पत्र की प्रस्तावना में कहा गया है कि विश्व के सभी

लोग एक परिवार की तरह हैं जिसके सभी सदस्यों के अधिकार समान हैं। इसमें इस बात को भी रेखांकित किया गया है कि व्यक्ति के इन अधिकारों को किसी को छीनने का अधिकार नहीं हैं। हर मनुष्य की अपनी गरिमा है और उसकी इस गरिमा के समान के द्वारा ही दुनिया में अमन-चैन व भाईचारे की स्थापना की जा सकती है। इस घोषणा-पत्र में मुनष्य के मौलिक अधिकारों तथा व्यक्ति की गरिमा के साथ-साथ स्त्री-पुरूष की बराबरी का भाव प्रकट किया गया है। घोषणा-पत्र के माध्यम से संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा सभी देशों से यह अपेक्षा रखती है कि सभी देश इस दिशा में अपने देश के भीतर और बाहर ठोस पहल करेंगें।

घोषणा-पत्र में यह कहा गया है कि - **(1)** सभी मनुष्य जन्म से ही समान हैं और उनकी गरिमा व अधिकार भी समान हैं। इसलिये सभी मनुष्य को एक-दूसरे के प्रति सम्मानजनक व सद्भावपूर्ण आचरण करना चाहिए। **(2)** घोषणा-पत्र में मनुष्य-मनुष्य के बीच किसी भी प्रकार के कृत्रिम भेदभाव को निषिद्ध माना गया है। नस्ल, लिंग, रंग, भाषा, धर्म, विचारधारा, संम्पत्ति आदि किसी भी तरह के भेदभाव को अनुचित माना गया है। **(3)** घोषणा-पत्र में व्यक्ति-व्यक्ति के बीच अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किसी तरह के भेदभाव को भी अनुचित करार दिया गया है। **(4)** किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति की खरीद-फरोख्त के साथ-साथ गुलाम अथवा दास बनाने का इसमें निषेध किया गया है। **(5)** किसी भी व्यक्ति को अमानवीय अपमानजनक सजा न दी जाय तथा उसके प्रति क्रूर व्यवहार को निषिद्ध माना गया हैं। **(6)** विश्व में कहीं भी प्रत्येक मानव को कानून के समक्ष समान माना गया है। हर व्यक्ति को नहीं भी कानून के सामने मानव के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है। **(7)** सभी मनुष्य समान रूप से कानून का संरक्षण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। कहीं भी भेद-भाव के खिलाफ कोई भी व्यक्ति कानून का संरक्षण प्राप्त कर सकता है। **(8)** किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि यह संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरूद्ध राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के समक्ष न्याय पाने के लिये जा सकता है। **(9)** किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से न तो गिरफ्तार ही किया जा सकता है और न ही हिरासत में अथवा देश निकाला ही दिया जा सकता है। **(10)** हर व्यक्ति को अपने विरूद्ध लगाये गये फौजदारी आरोपों के बारे में खुली व निष्पक्ष सुनवाई के लिये स्वतंत्र न्यायालय के समक्ष पेश होने का समान अधिकार है। **(11) (क)** यदि किसी व्यक्ति पर कोई दंडनीय अपराध का आरोप लगाया जाता है तो उसे अपने वचाव में खुले व निष्पक्ष न्यायालय के समक्ष पेश होने का समान अधिकार है। **(ख)** किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिये कानून के तहत तव तक दोषी नहीं माना जायेगा जब तक कि वह अपराध राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मुताविक दंडनीय अपराध न हो। साथ ही न ही किसी भी व्यक्ति पर जुर्माना ही किया जा सकता है जो कि अपराध किये जाने के समय उस पर लागू हो सकता था। **(12)** किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व जीवन, परिवार, घर अथवा पत्राचार में मनमाने पूर्वक दखल अंदाजी नहीं की जा सकेगी और न ही किसी की इज्जत-आवरू पर आक्रमण किया जा सकेगा। इसके विरूद्ध हर व्यक्ति को कानूनी संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। **(13) (क)** प्रत्येक व्यक्ति को राज्य की सीमा में रहने व आने-जाने की स्वतंत्रता है। **(ख)** हर व्यक्ति को अपने देश को छोड़ने या देश वापस लौटने का अधिकार है। **(14) (क)** हर व्यक्ति को अत्याचार से बचने के साथ-साथ अन्य किसी भी देश में शरण मांगने व उसक उपयोग का अधिकार के कारण होने वाली मुकदमे बाजी व संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों तथा सिद्धातों के प्रतिकूल कार्यो के लिये प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। **(15) (क)** हर व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार है। **(ख)** किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से नागरिकता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा कसता है और न ही किसी व्यक्ति को नागरिकता के ही अधिकार से वंचित किया जा सकता है।

(16) (क) सविधान द्वारा निर्धारित उम्र हो जाने पर किसी भी स्त्री-पुरूष को विवाह करने व परिवार बसाने का अधिकार है। इस पर नस्ल, राष्ट्रीयता व धर्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। हर स्त्री-पुरूष को विवाह करने वैवाहिक जीवन जीने व भंग करने का समान अधिकार प्राप्त है। (ख) विवाह के इच्छुक स्त्री-पुरुष आपस में बिना किसी भय के आपसी रजामंदी से ही करेंगे। (ग) परिवार समाज की मौलिक व स्वाभाविक इकाई है और इसे समाज तथा शासन से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। (17) (क) हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से या किसी के साझेदारी में संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। (ख) किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। (18) हर व्यक्ति को वैचारिक, भावनात्मक व धर्म की स्वतंत्रता है और वह इसे बदलने के लिये भी स्वतंत्र है। (19) हर व्यक्ति को अपना मत बनाने व उसे प्रकट करने की स्वतंत्रता है। बगैर किसी बाहरी दबाव के हर व्यक्ति को अपना मत बनाने का अधिकार है। (20) (क) हर व्यक्ति को शांतिपूर्वक एकत्र होने व संघ बनाने का अधिकार हैं। (ख) हर व्यक्ति को किसी भी संघ में शामिल करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। (21) (क) प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा स्वतंत्र रूप से चुने गये प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार है। (ख) हर व्यक्ति को अपने देश की सरकारी सेवा में चुने जाने का अधिकार है। (ग) जनता की इच्छा ही सरकारी सत्ता का आधार होना चाहिए जिसकी अभिव्यक्ति समय-समय पर होने वाले सच्चे चुनावों के माध्यम से होनी चाहिए जिसमें बिना किसी भेदभाव के सबको समान मताधिकार व गुप्त मतदान द्वारा इसमें भाग लेने का अधिकार है। (22) प्रत्येक व्यक्ति को समाज का सदस्य होने के नाते सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। हर व्यक्ति को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग व राष्ट्रीय प्रयत्नों के माध्यम से अपना आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास करने का अधिकार है जो उसके व्यक्तिगत के स्वतंत्र विकास व गरिमा के लिये अत्यंत ही आवश्यक है। (23) (क) प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपने रोजगार चुनने तथा उचित एवं अनुकूल स्थिति में कार्य करने और बेराजगारी से सुरक्षा पाने का भी अधिकार है। (ख) बगैर किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान कार्य के लिये समान वेतन पाने का अधिकार है। (ग) हर व्यक्ति को अपने द्वारा किये जाने वाले काम के बदले अपने व अपने परिवार के गरिमापूर्ण जीवन जीने लायक न्यायोचित मेहनताना प्राप्त करने का अधिकार है। प्राप्त मेहनताना कम पड़ने की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा के अन्य तरीकों से इसकी पूर्ति होनी चाहिए। (घ) प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों के रक्षार्थ मजदूर संगठन का निर्माण करने व इसमें शामिल होने का अधिकार है। (24) प्रत्येक व्यक्ति को न्यायोचित कार्य करने की अवधि, वेतन व सावधि अवकाश के साथ विश्राम करने व छुट्टी मनाने का अधिकार है। (25) (क) प्रत्येक व्यक्ति को बेराजगारी, बीमारी, अपंगता, वैधव्य, बुढ़ापा व जीवनयापन आदि की कठिनाईयों से सुरक्षा पाने का अधिकार है। (ख) माता व बच्चों की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। बच्चे चाहे वे वैवाहिक संबंधों के बाद पैदा हो अथवा पहले, उन्हें समान रूप से सामाजिक सुरक्षा के हकदार है। (26) (क) प्रत्येक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और यह शिक्षा बगैर किसी खर्च के मिलनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा तो हर किसी को निःशुल्क ही मिलनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य हो और और तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षा सामान्यतः सुलभ होनी चाहिए और उच्च शिक्षा योग्यता के आधार पर सबों के समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए (ख) शिक्षा मावन के व्यक्तित्व का विकास करने वाली व मानव अधिकारों व स्तंत्रता के प्रति आदर भाव बढ़ाने वाली हो। (ग) हर माँ-बाप को अपने बच्चे के लिये यह चुनने का अधिकार है कि उनके बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा की जाय (27) (क) हर व्यक्ति को अपने-अपने समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार है। साथ ही हर व्यक्ति को कला,

विज्ञान आदि से लाभान्वित होने का भी अधिकार है। **(ख)** हर व्यक्ति को वैज्ञानिक, साहित्यिक अथवा अपनी अन्य कृति के नैतिक व भौतिक लाभ प्राप्ति की सुरक्षा का अधिकार है। **(28) (क)** संयुक्त राष्ट्र संघ के इस मानवाधिकार संबंधी घोषणा मे वर्णित अधिकारों व स्वतंत्रता के उपयोग हेतु अपेक्षित सामाजिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। **(29) (क)** अपने समुदाय के प्रति प्रत्येक व्यक्ति प्रतिबद्ध हैं जिसके द्वारा उसके स्वतंत्र एवं संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास संभव है। **(ख)** व्यक्ति के अधिकारों व स्वतंत्रता के उपयोग में कानून द्वारा निर्धारित सीमाएँ लागू हों कानून का उद्देश्य व्यक्ति का एक-दूसरे के प्रति अधिकार, नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, सार्वजनिक शांति तथा लोकतांत्रिक समाज में सबकी कल्याणकारी जरूरतों को पूरा करने वाला होना चाहिए। **(ग)** उपर्युक्त अधिकार स्वतंत्रता का किसी भी रूप में संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रतिकूल उपयोग नहीं होना चाहिए। **(30)** मानवाधिकार संबंधी उधिघोषणाओं में वर्णित किसी भी बात की इस तरह व्याख्या न हो कि किसी राज्य, समुदाय अथवा व्यक्ति को कोइे ऐसा अधिकार प्राप्त हुआ है। और वह ऐसा कार्य करे जिससे उपर्युक्त अधिकारों व स्वतंत्रता का ही हनन होने लगे।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की मानवाधिकार संबंधी उक्त घोषणा मानव की स्वतंत्रता व गरिमा की रक्षा करता है। लोकतंत्रात्मक समाज में मानवाधिकार संबंधी उक्त प्रावधान हर व्यक्ति को उसके अधिकार, स्वतंत्रता आदि की गारंटी प्रदान करते है। स्वस्थ लोकतंत्र की दिशा में यह मील का पत्थर है।

संदर्भ :

1. डॉ. सुभाष कश्यप, लोकतंत्र का इतिहास, 1998
2. निखिल चक्रवर्ती, लोकतंत्र की भूमिका, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 1995
3. डॉ. पुखराज जैन , भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन आगरा उ.प्र., 2016
4. डॉ. वी. एल. फड़िया, भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा उ.प्र., 2017

❖ ❖ ❖